

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

संगीता भटनागर, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा भाटियान-जोधपुर द्वारा विवाह उपरान्त स्वयं के उपनाम परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा राजस्थान सेवा नियम 08 एवं राजस्थान वित्त विभाग के मैमोरेण्डम एफ.1(3)एफ.डी.रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 15.02.2018 के अनुसरण में संगीता भटनागर, परिवर्तित नाम संगीता सक्सैना व्या. इतिहास को राजकीय सेवा से संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम संगीता भटनागर के स्थान पर संगीता सक्सैना दर्ज करने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में संगीता भटनागर व्या. इतिहास से संबंधित समस्त राजकीय आदेश/कार्य परिवर्तित नाम संगीता सक्सैना से संबोधित/जारी किये जावें।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/नाम परिवर्तन/2022/वो-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक 06.02.2023



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

हीरालाल रैगर, व्याख्याता इतिहास, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमूं -जयपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अभिलेखों(राजस्थान राज-पत्र के भाग-07 के पृष्ठ संख्या 461 पर दिनांक 16.12.2010 को प्रकाशन, समाचार पत्र व शपथ पत्र) के आधार पर हीरालाल रैगर को राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में स्वयं का नाम हीरालाल कुलदीप किए जाने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में हीरालाल रैगर से संबंधित समस्त राजकीय आदेश/कार्य परिवर्तित नाम हीरालाल कुलदीप से संबोधित/जारी किए जाएं।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/नाम परिवर्तन/2022/वो-II
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 06.02.2023

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर